कार्यालयः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश।

संख्या-प्रशि.प्रको./ लखनऊः दिनांक 15/9/ 2016

विस्तार

–:: आदेश ::–

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रांदेशिक चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्साधिकारियों के सेवा निवृत्ति के उपरान्त 65 वर्ष की आयु तक पुनर्योजन प्रदान किये जाने सम्बन्धी चिकित्सा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 157/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 13.01.2014 सपठित शासनादेश संख्या 1961/सेक–2–पॉच–14–7(255)/13, दिनांक 18.06.2014 एवं संख्या–965/सेक–2–पॉच–16–7(255)/2013, दिनांक 10.03.2016 में अंकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन **निम्नलिखित परामर्शी विशेषज्ञों को एक वर्ष की** अवधि 65 वर्ष की आयु **पूर्ण होने अथवा नियमित चिकित्सा अधिकारी की तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, के** लिए सेवा विस्तार **किया जाता है। एक वर्ष की अवधि की गणना, सेवा में निरन्तरता बनाये रखने वाले परामर्शियों** के लिए पूर्व सेवा **नियोजन/विस्तार के अंतिम दिन अथवा योगदान की तिथि से की जायेगी, को एतद्द्वारा** तत्कालिक **प्रभाव से निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन पुनर्योजित किया जाता है।**

(1) पुनर्योजन केवल विशेषज्ञ चिकित्सकों का ही किया जायेगा। विशेषज्ञ चिकित्सकों को कोई प्रशासकीय पद नहीं दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में इन्हें संवर्गीय पदनाम नही दिया जायेगा। पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ के रूप में कन्सलटेन्ट अथवा परामर्शी कहा जायेगा।

(2) पुनर्योजन की अवधि पेंशन के लिए नहीं गिनी जायेगी और पद का कार्यभार ग्रहण करने अथवा उसकी समाप्ति पर कोई यात्रा भत्ता नही देय होगा।

(3) पुनर्योजन पर तैनात किये जाने वाले विशेषज्ञ चिकित्सकों को पुनर्योजन की अवधि में वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसकी शुद्ध पेंशन की धनराशि को सम्मिलित करते हुए उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम, जो भी कम हो, पुनर्योजन की अवधि में विशेष वेतन उसी दर पर देय होगा जो पुनर्योजन से पूर्व अनुमन्य था।

(4) पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों को अस्थायी कर्मचारी की भॉति वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2 से 4 के सहायक नियम–157ए तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों के अनुसार अवकाश देय होगा।

(5) पुनर्योजन की अवधि में विशेषज्ञ चिकित्सकों को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उनके वेतन व शुद्ध पेंशन के योग के अनुसार अनुमन्य दरों पर देय होंगे जैसा कि यात्रा भत्ता नियम–16–ए में प्राविधानित है।

(6) पुनर्योजन पर नियुक्त विशेषज्ञ चिकित्सकों को आपातकालीन सेवाओं/आकस्मिक सेवाओं हेतु उपलब्ध रहना होगा।

(7) जनपदवार/विशेषज्ञतावार पुनर्योजित विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवायें संतोषजनक न पाये जाने पर अस्थायी सरकारी सेवक की भॉति एक माह की अग्रिम नोटिस देकर उनकी सेवायें समाप्त की जा सकेंगी। पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सक भी एक माह की अग्रिम नोटिस देकर सेवा मुक्त हो सकता है।

(8) पुनर्योजन पर तैनात विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अस्पताल में सरकारी नियमों के अन्तर्गत उपलब्ध दवाओं को ही संस्तुत करेंगे तथा उनके द्वारा किसी भी रूप में प्राइवेट प्रैक्टिस नही की जाएगी। इसका उल्लघंन करने पर तत्काल प्रभाव से पुनर्योजन समाप्त कर दिया जायेगा।

2– सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा चिकित्सक की तैनाती के पूर्व चिकित्सक से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि सेवा काल के दौरान न तो सी0बी0आई0 जॉच/न तो सतर्कता जॉच न ही अनुशासनिक कार्यवाही तथा न ही कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन है।

3– सम्बन्धित चिकित्सक की तैनाती के पूर्व सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि संबंधित चिकित्सक की स्वास्थ्यता के सम्बन्ध में अपेक्षित स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र अवश्य उपलब्ध करा दिया जाय।

4– यदि किसी चिकित्सक द्वारा पुनर्योजन के आधार पर तैनाती से पूर्व उक्तानुसार अपेक्षित शपथ पत्र और स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध नही कराया जाता है, तो उनकी तैनाती/पुनर्योजन न किया जाये, बल्कि ऐसे प्रकरणों को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 के संज्ञान में लाया जाय।

5– पुनर्योजित विशेषज्ञ परामर्शी को जारी आदेश की तिथि से एक माह के अंदर प्रत्येक दशा में पुनर्योजित पद पर सेवा में योगदान कर लें, यदि एक माह में सेवा में योगदान नहीं करते हैं, तो यह माना जायेगा कि सम्बंधित परामर्शी कार्य करने के इच्छुक नहीं है और उनके पुनर्योजन को स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	जन्म तिथि	सेवा निवृत्त तिथि	विशेषज्ञता	चिकित्सालय/जनपद का नाम
1	2	3	4	5	6	8
1.	डा0 माता प्रसाद मिश्रा–6486	श्री कैलाश नाथ मिश्रा	25.02.1954	28.02.2014	एम0एस0 सर्जरी	एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय, वाराणसी
2.	डा0 राजेश नाथ पुरी–5389	स्व0 आर0एस0पुरी	02.03.1953	30.03.2013	एम0एस0 (नेत्र)	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
3.	डा0 वीरेन्द्र कुमार मिश्रा–3657	स्व0 अंगू लाल मिश्रा	01.03.1953	28.03.2013	एम0एस0 (नेत्र)	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
4.	डा0 अशोक कुमार मिश्रा–4611	स्व0 एन0बी0 मिश्रा	20.09.1953	30.09.2013	एम0डी0 पिडियाट्रिक्स	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
5.	डा0 गिरीश चन्द्र सेठी–4015	स्व0 एस0आर0 सेठी	22.09.1953	30.09.2013	डी0सी0एच0	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
6.	डा0 राघवेन्द्र कुमार उपाध्याय–4497	स्व0 रामस्वरूप उपाध्याय	01.01.1953	31.12.2012	डी0एम0आर0ई0	जिला चिकित्सालय हाथरस
7.	डा0 कन्हैया लाल गुप्ता–	स्व0 बांके लाल गुप्ता	20.07.1953	31.07.2013	एम0डी0 मेडिसिन	बलरामपुर जिला चिकित्सालय लखनऊ
8.	डा0 किशोर कुमार कटियार–6830	राज कुमार कटियार	01.01.1954	31.12.2013	डिप–कार्ड	बलरामपुर जिला चिकित्सालय लखनऊ
9.	डा0 अशोक कुमार गंगवार–	स्व0 रघुनाथ सहाय गंगवार	03.09.1952	30.09.2012	डी0एल0ओ0	बलरामपुर जिला चिकित्सालय लखनऊ
10.	डा0 अवध बिहारी वर्मा–3829	स्व0 देवी दीन	30.05.1954	31.05.2014	डी0एम0आर0डी0	बलरामपुर जिला चिकित्सालय लखनऊ
11.	डा0 रमाकान्त दूबे–4742	श्री रूपशंकर द्विवेदी	28.06.1954	30.06.2014	एम0एस0 आर्थोपेडिक्स	टी0बी0 सप्रू चिकत्सालय इलाहाबाद
12.	डा0 गिरीश चन्द्र सिन्हा–3863	स्व0 श्रीकृष्ण चन्द्र सिन्हा	01.01.1953	31.12.2012	एम0डी0 मेडिसिन	मोती लाल नेहरू जिला चिकित्सालय इलाहाबाद
13.	डा0 ओम प्रकाश–5237	स्व0 घनश्याम सिंह	10.01.1955	31.01.2015	डी0एम0आर0डी0	जिला चिकत्सालय मुरादाबाद
14.	डा0 सैयद मो0 मोहसिन नक्वी	स्व0 सैयद तौकीर हुसैन नक्वी	25.02.1954	28.02.2014	डी0ओ0एम0एस0	एम0डी0आई0 हॉस्पिटल इलाहाबाद

15.	डा0 वेद पाल सिंह--	श्री ज्ञान सिंह	05.12.1953	31.12.2013	डी0टी0सी0डी0	जिला संयुक्त चिकत्सालय हापुड़
16.	डा0 अरूण कुमार गुप्ता--8166	स्व0 सुरेश कुमार गुप्ता	05.01.1955	31.01.2015	डी0सी0पी0	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
17.	डा0 हरी शंकर--5395	स्व0 मनोहर लाल	15.08.1954	31.08.2014	डी0टी0सी0डी0	लोक बन्धु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ
18.	डा0 चन्द्र किशोर प्रसाद सिन्हा--7225	स्व0 मुरली धर प्रसाद	19.10.1954	31.10.2014	डी0ए0	एस0एस0पी0जी0 जिला चिकित्सालय वाराणसी
19.	डा0 विमल कुमार श्रीवास्तव--5190	स्व0 दुर्गा प्रसाद श्रीवास्तव	02.07.1955	31.07.2015	डी0एम0आर0डी0, डी0एम0आर0ई0	वीरांगना झलकारी बाई महिला चिकित्सालय लखनऊ
20.	डा0 विश्व नाथ राय--	श्री जानकी बल्लभ राय	20.02.1955	20.02.2015	डी0ओ0एम0एस0	जिला चिकित्सालय बुलन्दशहर
21.	डा0 देवेन्द्र सिंह राठौर--4899	स्व0 नरेन्द्र सिंह राठौर	01.07.1955	30.06.2015	डिप--कार्ड	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
22.	डा0 जावेद असलम--4819	स्व0 मोहम्मद सलीम सिद्दीकी	15.06.1955	30.06.2015	डी0ओ0एम0एस0	डा0 एस0पी0एम0 चिकित्सालय लखनऊ
23.	डा0 राजेश अवस्थी--6146	स्व0 बी0एन0 अवस्थी	01.07.1955	30.06.2015	डी0टी0सी0डी0	आर0एल0बी0 संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ
24.	डा0 लोक नाथ दीपक--4504	स्व0 श्री बैकुण्ठ बिहारी मेहरोत्रा	02.03.1954	31.03.2014	डी0ए0	जिला संयुक्त चिकित्सालय वृन्द्रवन मथुरा
25.	डा0 विपिन चन्द्र गुप्ता--4856	स्व0 श्री हरिश चन्द्र गुप्ता	02.06.1955	30.06.2015	एम0डी0 पैथोलॉजी	जिला पुरूष चिकित्सालय मुरादाबाद
26.	डा0 अनिल मोहन रस्तोगी--5731	स्व0 जितेन्द्र कुमार रस्तोगी	05.12.1954	31.12.2014	डी0सी0एच0	पी0एल0 शर्मा, जिला चिकित्सालय मेरठ
27.	डा0 सुनील कुमार खेमानी--	स्व0 काशी प्रसाद खेमानी	10.07.1955	31.07.2015	एम0एस0 सर्जरी	मण्डलीय जिला चिकित्सालय मिर्जापुर
28.	डा0 त्रियुगी नारायण मिश्रा--4737	स्व0 शम्भू प्रसाद मिश्र	01.10.1953	30.09.2013	डी0 आर्थ0	मोती लाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय इलाहाबाद
29.	डा0 सुभाष चन्द्र गुप्ता--4540	स्व0 मेवा राम	01.01.1952	31.12.2011	डी0सी0एच0	जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली (डा0 गुप्ता की सेवायें दिनांक 31.12.2016 तक ही है।)
30.	डा0 वीरेन्द कुमार--6991	स्व चुन्नी लाल	27.08.1954	31.08.2014	डी0सी0पी0	जिला संयुक्त चिकित्सालय बरेली
31.	डा0 रमेश चन्द्र शर्मा--4708	श्री भगवान दास शर्मा	20.01.1954	31.01.2014	डी0एल0ओ0	जिला चिकत्सालय एटा

(सुनील श्रीवास्तव)
महानिदेशक